

16-03-18

वकील अमी. या स्वयं अमी. कोई उपस्थित नहीं
है। अमी. को जार बार आवाजे दिलवाई गई।
अमी. की आरंभ कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः अमील अदम हाजरी व अदम फरवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फरखल
शुमार होकर बाद तकमील जाता दाखिल
दफ्तर ही।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर